

**:: आदेश ::**

शासनादेश संख्या-566/XVIII-B-1/2024-12(01)/2019 दिनांक 11.06.2024 एवं शासनादेश संख्या-574/XVIII-B-1/2024-12(01)/2019 दिनांक 13.06.2024 एवं संख्या-1130/XVIII-B-1/2024-12(02)/2024 दिनांक 07.11.2024 से वित्तीय वर्ष-2024-25 में नॉन एस0डी0आर0एफ0 (NON SDRF) निधि अन्तर्गत प्राप्त धनराशि में से प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त निम्न कार्य योजना के मरम्मत हेतु कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़ को 03 कार्ययोजना के सापेक्ष ₹ 4.60 लाख ( ₹ चार लाख साठ हजार मात्र ) की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2	3	4	5	6
तहसील/ खण्ड/ग्राम का नाम/स्थान का नाम	कार्य योजना का नाम	कार्यदायी संस्था	आंगणन की लागत रु0 लाख में	जिला मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि रु0 लाख में
डीडीहाट / कनालीछीना / तीतरी	दैवीय आपदा 2024-2025 के अन्तर्गत तीतरी नहर के हैड भाग मरम्मत का कार्य।	सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़	5.00	2.00
डीडीहाट / कनालीछीना / जमतडी	दैवीय आपदा 2024-25 के अन्तर्गत जमतडी नहर के मरम्मत का कार्य।	सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़	3.00	1.40
डीडीहाट / कनालीछीना / बगड़ीहाट	दैवीय आपदा 2024-25 के अन्तर्गत बगड़ीहाट नहर के मरम्मत का कार्य।	सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़	2.56	1.20
योग			<b>10.56</b>	<b>4.60</b>

प्रभारी अधिकारी दैवीय आपदा/आहरण वितरण अधिकारी, जिला कार्यालय, पिथौरागढ़ उक्त स्वीकृत कुल धनराशि ₹ 4.60 लाख ( ₹ चार लाख साठ हजार मात्र ) को कोषागार से आहरित करना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़ को उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग निम्न प्रतिबन्धों के अनुसार तत्काल कराना सुनिश्चित करें। कार्यदायी संस्था द्वारा आपदा से क्षतिग्रस्त उक्त योजना को Geo tagging से कराया जाना अनिवार्य होगा।

जनहित में नॉन एस0डी0आर0एफ0 (NON SDRF) निधि अन्तर्गत में आवंटित बजट के सापेक्ष अधिकतम कार्ययोजनाओं को धनराशि वितरित की जा रही है। कार्यदायी संस्था उपरोक्त स्वीकृत योजनाओं में आवंटित की जा रही धनराशि में से यदि किसी कार्य योजना का कार्य पूर्ण न होने की दशा में अवशेष धनराशि अपने विभागीय बजट व अन्य मदों से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

- 1- आंगणन में उल्लिखित दरों के विश्लेषण को संबंधित विभाग को अधिशासी अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य प्राप्त की जाय।
- 2- कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय प्रालन करना सुनिश्चित करेंगे।

- सिद्धांत जोष

डायरी संख्या 21103125  
दिनांक 21.06.25  
सिंचाई खण्ड  
C.A.H.R.

- सत्यापन उप जिलाधिकारियों से कराया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ तथा सत्यापन आख्या यथा समय प्रस्तुत किया जायेगा ।
- 13- उपरोक्त निर्देशानुसार धनराशि आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये आंगणन/तकनीकी परीक्षण उपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों/प्रक्रिया का अनुपालन न होने पर संबंधित अधिशासी अभियन्ता/कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेंगे ।
- 14- कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़ द्वारा नियमानुसार आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने उपरान्त प्रपत्र-1, प्रपत्र-2 एवं प्रपत्र-3 में सूचना जिला कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। निर्धारित की गई अवधि के अन्दर औपचारिकतायें पूर्ण न किये जाने पर कार्यदायी संस्था के विरुद्ध होने वाली कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 15- कार्यदायी संस्था को कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कार्य के मध्य, कार्य पूर्ण होने के पृथक-पृथक फोटोग्राफ उपयोगिता प्रमाण पत्र 45 दिन अन्तर्गत संलग्न कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा ।
- 16- संबंधित कार्यदायी संस्था सभी अभिलेख सम्परीक्षा हेतु अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। जिला कार्यालय के दैवी आपदा अनुभाग में महालेखाकार/राजस्व परिषद द्वारा सम्परीक्षा किये जाने पर अभिलेखों को सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 17- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित-2017 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय ।


दिनांक 19 मार्च, 2025

ह0/-  
( विनोद गोस्वामी )  
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण पिथौरागढ़।  
संख्या- 707 / नॉन एस0डी0आर0एफ0 / आ0प्र0 / 2024-25

दिनांक 19 मार्च, 2025

- प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़।
  - 2- सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - 3- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - 4- उप जिलाधिकारी, धारचूला।
  - 5- मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
  - 6- कार्यालय प्रति।

  
प्रभारी अधिकारी, (दैवी आपदा)  
कृते जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।